जून, 2018 में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने 21-24 जून, 2018 तक मंगोलिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया के माननीय मिनिस्टर और जस्टिस एवं होम एफेयर्स तथा माननीय उप प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। माननीय गृह मंत्री ने इस दौरे के दौरान, ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में भारत सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत मंगोलिया में तैयार की गई पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।

2. दिनांक 29.06.2018 को, वर्ष 2017 में आई बाढ़/भूस्खलन के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड राज्यों और वर्ष 2017 में हुए सूखे (रब्बी) के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की गई।

3. भारत-चीन सीमा पर सीमा अवसंरचना प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर), श्री किरेन रिजीजू की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2018 को बैठक आयोजित की गई।

4. समुद्र से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण संबंधी राष्ट्रीय समिति की 16वीं बैठक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2018 को आयोजित की गई।

5. दिनांक 28.06.2018 को, केन्द्रीय गृह सचिव ने 44वीं उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति की बैठक आयोजित की।

6. 13 आईसीपी के निर्माण और आईसीपी, पेट्रापोल में पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए व्यय सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2018 को व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई।

7. नागालैंड राज्य को छः माह की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 30.06.2018 से 31.12.2018 तक सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया।

8. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (प्रोग्रेसिव) (एनडीएफबी (पी)) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (रंजन दायमारी) (एनडीएफबी (आर डी)) के साथ अभियान निलंबन करारों को छः माह की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ा दिया गया है।

9. केन्द्रीय गृह सचिव ने सड़क अपेक्षा योजना-1 के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपे गए लंबित कार्यों को तेजी से और समय पर पूरा करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा।

10. गृह सचिव ने महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त सफलता के परिप्रेक्ष्य में उनकी सी-60 की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करते हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को भी पत्र लिखा।

11. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में 29 निर्जन द्वीपों को विदेशी-विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अंतर्गत अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्यवस्था से दिनांक 31.12.2022 तक अलग रखे।

12. इस माह के दौरान, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम राज्य सरकार को 63.47 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, अब तक सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल जारी की गई निधियां 162.61 करोड़ रु. हैं।

13. इस मंत्रालय ने 4-5 जून, 2018 को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित करने के लिए अंशदान दिया।

14. सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को प्रतिपूर्ति के रूप में 88.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

15. केन्द्र सरकार ने 'अलकायदा इन दि इंडियन सबकोंटीनेंट' (एक्यूआईएस) और इस्लामिक स्टेट इन खोरासन प्रोवीन्स (आईएसकेपी)/आईएसआईएस विलायत खोरासन/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक तथा शाम-खोरासन (आईआईएस-के) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की प्रथम अनुसूची में आतंकवाद में लिप्त आतंकवादी संगठन के रूप में नामोद्दिष्ट किया है।

16. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी ड्यूटियों और अमरनाथ यात्रा 2018 के लिए सुरक्षा इंतजाम करने, ईद-उल फितर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के दौरान, क्षेत्र नियंत्रण और सड़क की सुरक्षा तथा विभिन्न त्योहारों के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 220 कंपनियां तैनात की गईं।

17. देश भर में कुल 15640 पुलिस थानों में से 15546 पुलिस थानों अर्थात 99.39 प्रतिशत पुलिस थानों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लगाया गया। 15640 पुलिस थानों में से लगभग 14243 पुलिस थानों अर्थात 91.06 प्रतिशत पुलिस थानों में सीसीटीएनएस के माध्यम से शत-प्रतिशत प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं।

18. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य नागरिक केन्द्रिक पोर्टल शुरू कर लिए हैं।

19. परियोजना के कुल 2000 करोड़ रु. के परिव्यय में से, 1796 करोड़ रुपए अभी तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय एजेंसियों को जारी किए जा चुके हैं।

20. भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 7 राज्य विधेयकों अर्थात न्यायालय शुल्क (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2017, भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2017, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017, भूअर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2017 तथा असम जादू-टोना (प्रतिषेध, परिरक्षण एवं संरक्षण) विधेयक, 2015, राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 तथा आरक्षण (राज्य की सिविल सेवाओं के पदों के लिए) के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने संबंधी कर्नाटक विधेयक, 2017 को इस माह के दौरान स्वीकृति प्रदान की।

21. इस माह के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में हेरोइन, गांजा, अफीम, कोकीन और अन्य स्वापकों को जब्त किया गया तथा मादक पदार्थ के दुर्व्यापार के संबंध में 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

25. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के मल्टी ग्राफ ऑपरेटर तथा मुख्य ड्रिल अनुदेशक (चीफ ड्रिल इन्सट्रक्टर) के पद के लिए दो भर्ती नियम प्रकाशित किए गए।

* * * * *